अनुदान संख्या 23 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 23 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2326,00,00	2536,36,00	1867,69,50	-668,66,50
पूरक	Supplementary	210,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				502,62,70
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		734,00,00	120,30,80	-613,69,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				614,22,30

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹66866.50 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹21036.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹66866.50 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹21036.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and constituted 26 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2250"	Major Head "2250"				
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services				
मू.	O.	2000.00	..	..	..
पु.	R.	-2000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	63400.00			
पू.	S.	21036.00	70350.70	53749.42	-16601.28
पु.	R.	-14085.30			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	163827.00			
			129927.90	129927.38	-0.52
पु.	R.	-33899.10			

(I) ₹15539.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹15399.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹15539.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹15399.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2250" – "अन्य व्यय – पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुशासन के लिए एडवोकेसी और प्रचार तथा क्षमता संवर्द्धन" – ₹2000.00 लाख – स्कीम को समाप्त किए जाने के कारण।

(A) Major Head "2250" - "Other Expenditure-Advocacy and Publicity and Capacity Enhancement for Governance in NER" - ₹2000.00 lakhs - due to the scheme being discontinued.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – समुदाय विकास – विश्व बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना" – ₹9000.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ख) "पर्यटक अवसंरचना – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर पर्यटन विकास परिषद को सहायता" – ₹699.00 लाख – नई परियोजनाओं को न लिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से चालू परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण।

(B) Major Head "2552"-

(a) "Other Rural Development Programmes-Community Development- North Eastern Rural Livelihood Project with World Bank Assistance" - ₹9000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(b) "Tourist Infrastructure- Other Expenditure-Support to North East Tourism Development Council" - ₹699.00 lakhs - due to non-taking up of new projects and non-receipt of utilization certificates of ongoing projects from the implementing agencies.

(ग) "अन्य व्यय – राज्य विज्ञान केंद्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी लोक जागरुकता" – ₹700.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण।

(c) "Other Expenditure- Public Awareness of Science and Technology in State Science Centres" - ₹700.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹3000.00 लाख – दिशानिर्देश तैयार करने में विलंब होने और परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(C) Major Head "3601"- "Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan - Hill Area Development Programme" - ₹3000.00 lakhs - due to delay in formulation of guidelines and non-finalization of projects.

(II) मुख्य शीर्ष "2552" – "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय संसाधन पूल को अंशदान – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" के अंतर्गत – ₹1260.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6260.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹6054.67 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – चालू परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और आदर्श आचार संहिता लगने के कारण नई परियोजनाओं को न लिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2552" - "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region-Schemes of North Eastern Council"- the original provision of ₹1260.00 lakhs was augmented to ₹6260.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6054.67 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of utilisation certificates for ongoing projects and non-taking up of new projects owing to Model Code of Conduct.

(III) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2552" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "पर्यटक अवसंरचना – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को सहायता" – ₹1620.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5391.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7011.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि, नई परियोजनाओं को लेने पर प्रतिबंध होने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से चालू योजनाओं के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण ₹3724.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Tourist Infrastructure- Other Expenditure-Support to Projects related with Tourism in NER" - the original provision of ₹1620.00 lakhs was augmented to ₹7011.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5391.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹3724.85 lakhs - due to restriction on taking up of new projects and non-receipt of utilization certificates of ongoing projects from the implementing agencies.

(खा) "अन्य व्यय – अन्य विविध मदें" – ₹1770.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2770.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि, कार्यन्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के

(B) "Other Expenditure - Other Miscellaneous items" - the original provision of ₹1770.00 lakhs was augmented to ₹2770.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which,

कारण – ₹469.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" – ₹16225.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9645.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹25870.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹592.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय संसाधन पूल को अंशदान – पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम" – ₹2704.18 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम का प्रचालन आरंभिक चरण में होने के कारण हुई।

(खा) "कला और संस्कृति – कला और संस्कृति संवर्द्धन – पूर्वोत्तर राज्यों में कला और संस्कृति का परिरक्षण और संवर्द्धन" – ₹886.60 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियो का आर्थिक विकास कल्याण" – ₹4149.73 लाख की बचत (₹6840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाएं न लिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से चालू परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय – पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं का अवसंरचना विकास" – ₹1405.43 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

however, remained unutilised to the extent of ₹469.29 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Schemes of North Eastern Council" - the original provision of ₹16225.00 lakhs was augmented to ₹25870.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9645.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹592.40 lakhs; and

(IV) Under Major Head "2552" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region- North East Special Infrastructure Development Scheme"- saving of ₹2704.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to the scheme being in initial stages of operation.

(B) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture- Preservation and promotion of Art and Culture in NE States" - saving of ₹886.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non- receipt of viable proposals and utilization certificates from the implementing agencies.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Welfare of Scheduled Castes Economic Development" - saving of ₹4149.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6840.00 lakhs) was due to non taking up of new projects and non receipt of utilization certificates of ongoing projects from the implementing agencies.

(D) "Other Expenditure - Infrastructure Development of Educational Institutes in NE Region"-saving of ₹1405.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs);

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "स्वायत्त परिषदों और संविधान की अनुसूची–VI के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को विशेष विकास पैकेज" – ₹1837.22 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय संसाधन पूल – पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता" – ₹23531.67 लाख की बचत (₹49000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता" – ₹505.02 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को विशेष विकास पैकेज" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घा) "पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें – विशेष विकास परियोजना" – ₹4870.66 लाख की बचत (₹34500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को न लिए जाने, कम व्यावसायिकों को भाड़े पर लेने तथा राज्य सरकारों से चालू परियोजना के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विशेष विकास योजना" – ₹2744.95 लाख की बचत

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution-Special Development Package to Autonomous Territorial Council" - saving of ₹1837.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(B) "Central Pool of Resources for North East Region- Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim" - saving of ₹23531.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49000.00 lakhs);

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Central Assistance from Non Lapsable Pool of Resources for North East and Sikkim" - saving of ₹505.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and

(b) "Special Development Package to Autonomous Territorial Council"- saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies/State Governments.

(D) "Schemes of North Eastern Council- Special Development Project" - saving of ₹4870.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34500.00 lakhs) was due to non-taking up of new projects, hiring of less professionals and non-receipt of utilization certificates of ongoing projects from the State Governments.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Special Development Project" - saving of

(₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) नई परियोजनाओं को न लिए जाने तथा राज्य सरकारों से चालू परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹274.67 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत थी।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1232.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य व्यय – विज्ञापन तथा प्रचार, प्रकाशन और सूचना तथा जनसंपर्क" के अंतर्गत ₹11000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹432.06 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें – पूर्वोत्तर सड़क सेक्टर विकास स्कीम के लिए ईएपी" – ₹3649.10 लाख का अधिक व्यय (₹33327.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं के वचनबद्ध देयताओं के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹61422.30 लाख) ₹61369.20 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

₹2744.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-taking up of new projects and non-receipt of utilization certificates of ongoing projects from the State Governments.

(VI) Under one head saving of "274.67 lakhs occurred constituting 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1232.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹11000.00 lakhs under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations". Actual excess, however, was "432.06 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Schemes of North Eastern Council - EAP for North East Road Sector Development Scheme" - excess of ₹3649.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33327.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of committed liabilities of ongoing projects.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹61422.30 lakhs) exceeded the overall savings of ₹61369.20 lakhs.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	70000.00	11777.70	11830.80	+53.10
पु.	R.	-58222.30			
मुख्य शीर्ष "6885"	Major Head "6885"				
उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals				
मू.	O.	3000.00	..	..	..
पु.	R.	-3000.00			

(I) ₹5806.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹5806.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹5000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "नागर विमानन – पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के सुधार के लिए सहायता" – ₹2000.00 लाख – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Civil Aviation - Support for Improvement of Airports in North Eastern Region" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates from Airports Authority of India.

(खा) मुख्य शीर्ष "6885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वित्त निगम लि. को ब्याजमुक्त ऋण" – ₹3000.00 लाख – औपचारिकताएं पूरी होने में विलंब के कारण।

(B) Major Head "6885" - "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Interest free Loans to NEDFi" - ₹3000.00 lakhs - due to delay in completion of formalities.

(II) मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4552"- savings occurred under the following heads:-

(का) “सड़कें और सेतु” –

(क) “बीआरओ के जरिए संचालित की जाने वाली आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार” – ₹3500.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मौसम संबंधी बाधाओं के कारण सड़कों के निर्माण/मरम्मत के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) “पूर्वोत्तर सड़क सेक्टर विकास स्कीम” – ₹24900.17 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों और कार्याचयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदल झूला–पूलों/आरसीसी पुलों सहित सड़कों और पुलों का निर्माण/सुधार” – ₹3213.86 लाख की बचत (₹5894.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “अन्य व्यय – एन.ई.सी. स्टॉफ के लिए आवास/एन.ई.सी. अतिथिगृह” – ₹583.17 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसी से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) “सामान्य निर्माण–व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल का संसाधन–केन्द्रीय” – ₹23366.00 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् रेल मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) “Roads and Bridges”-

(a) “Construction/improvement of Roads of economic importance to be executed through BRO”- saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction/ repair of roads owing to weather constraints.

(b) “North East Road Sector Development Scheme”- saving of ₹24900.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments and Implementing Agencies.

(c) “Construction/ Improvement of Roads and Bridges including Foot suspension Bridges/ RCC Bridges in North Eastern Region”- saving of ₹3213.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5894.00 lakhs); and

(B) “Other Expenditure - Housing for N.E.C. Staff / N.E.C Guest House”- saving of ₹583.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments/Implementing Agency.

(C) “General Construction - Non-Lapsable Central Pool of Resources- Central” - saving of ₹23366.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to non-receipt of requisite documents from the implementing agencies, viz., Ministry of Railways and Ministry of Water